बउनवान .... मुकदमा न. ....

धारा ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... हुक्म ...
22.11.24	पत्रावली वास्ते निर्णय फाइनल पेश हुई। वकील वादी उप.। फाईनल डिक्री जारी की गई। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखा जाकर शा. पत्रा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। ह०	

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 146 / 2014 तारीख दायरा 10.12.2014

उनवान

जगदीश पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी ग्राम करीरिया तहसील सांगोद।

– वादी

बनाम

1. कन्हैयालाल आत्मज मथुरालाल जाति धाकड निवासी ग्राम करीरिया,
2. गिरिराज आत्मज श्री कृष्ण,
3. धनराज आत्मज श्रीकृष्ण,
4. मेघराज आत्मज श्रीकृष्ण,
5. तुलसीराम आत्मज श्रीकृष्ण,
6. दयाराम आत्मज श्रीकृष्ण,
7. रामगोपाल आत्मज श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासीगण ग्राम करीरिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
8. मंजूबाई पुत्री श्रीकृष्ण पत्नी सत्यनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम सोकरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
9. मोहनीबाई बेवा श्रीकृष्ण जाति धाकड निवासीग्राम करीरिया तहसील सांगोद।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा। – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :–

श्री ओम प्रकाश शर्मा (वकील वादी) दिनांक :–22/11/2024

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सगे संबंधी है, जिनके परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

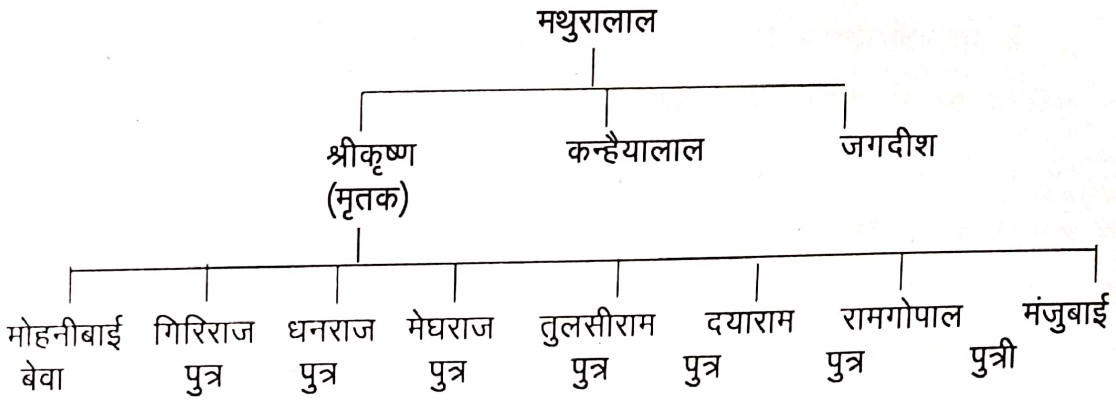

वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 9 के संयुक्त खाते व कब्जे काश्त में माल ग्राम करीरिया पटवार हलका मंडाप तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 2 पुरानी 2 की निम्नलिखित आराजी मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड सम्वत 2067 से 2070 स्थित है, जो निम्न प्रकार है :–

माल ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा हैक्टर	लगान
करीरिया	नई 2	16	0.02	0.26
		57	0.23	4.14
		58	0.22	3.96
		60	0.35	6.30
		106	2.77	60.94
		107	1.52	33.44
		108	0.78	17.16
		108/382	0.24	5.28
		109	2.86	62.92
		109/389	0.01	
		148	0.17	

कुल 11 किता की कुल 9.17 हैक्टर आराजीयात स्थित है।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजीयात है। वादी के पिता करीब 55–56 वर्ष पूर्व गुजर गये थे। वादी के पिता

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

मथुरालाल जी की मृत्यु के बाद वादी के बडे भाई श्रीकृष्ण द्वारा ही पैतृक आराजीयात की व्यवस्था की एवं परिवार के मुखिया की हैसियत से परिवार का लालन पालन किया। वादी के बडे भाई श्रीकृष्ण ने अपने जीवनकाल में ही करीब 35 वर्ष पूर्व अपने भाईयों की सहमति से यानि वादी व प्रतिवादीगण क्रम 1 की सहमति से ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियों व रिश्तेदारो की उपस्थिति में वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवाराकर लिया था एवं मौके पर आपसी विभाजन के मुताबिक अलग अलग मेडे डालकर अलग अलग कब्जा आराजीयात पर संभला दिया था, जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 9 के पिता श्रीकृष्ण एवं श्रीकृषण जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रतिवादी क्रम 2 ता 9 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में अपने पृथक–पृथक हिस्से में आयी आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते रहे हैं। वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 9 के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 106 की 2.77 हैक्टर, खसरा नं0 107 रकबा 1.52 हैक्टर, खसरा नं0 108 की 0.78 हैक्टर, खसरा नं0 108/382 की 0.24 हैक्टर, खसरा नं0 109 की 2.86 हैक्टर, खसरा नं0 109/389 की 0.01 हैक्टर आराजी मौके पर सेटलमेन्ट 2058 के पूर्व में एक ही चक में विध्यमान थी, जिसके खसरा क्रमांक 54 रकबा लगभग 52 बीघा था, जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 उत्तरी हिस्से की करीब 19 बीघा जमीन को मुताबिक पारिवारिक विभाजन मौके पर काश्त करता रहा है एवं वादी के हिस्से में उक्त खसरा नं0 में से 16 बिस्वा आराजी मध्य की एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 8 के पिता व प्रतिवादी नं0 9 के पिता श्रीकृष्ण के हिस्से में करीब 16 बीघा 10 बिस्वा जमीन दक्षिणी हिस्से की मुताबिक पारिवारिक विभाजन हिस्से में आयी थी। प्रतिवादी क्रम 1 को करीब 2 बीघा आराजी उत्तरी हिस्सा उपजाउ की दृष्टि से कमजोर होने से एवं ग्राम के समीप खसरा नं0 16 की 0.02 हैक्टर आराजी में हिस्सा नहीं लेने की एवज में आराजी करीब 2 बीघा अधिक पारिवारिक विभाजन में दी थी। इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 2 ता 8 के पिता व 9 के पति को खसरा नं0 60 की आराजी में करीब पौन बीघा जमीन अधिक हिस्से में दी थी एवं खसरा नं0 148 की 0.17 हैक्टर आराजी जो नदी की तीर पर है, वह शामलाती रूप में ही रखी थी, इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से आराजीयात पर मौके पर काबिज काश्त है :–

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

अ. हिस्सा बहक वादी

माल ग्राम	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
करीरिया	107	1.52 सम्पूर्ण
	108	0.78 सम्पूर्ण
	108/382	0.24 सम्पूर्ण
	58	0.22 सम्पूर्ण
	16	0.02 सम्पूर्ण

ब. हिस्सा बहक प्रतिवादी क्रम 1

माल ग्राम	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
करीरिया	109	2.86 सम्पूर्ण
	109/389	0.01 सम्पूर्ण
	57	0.23 सम्पूर्ण

स. हिस्सा बहक प्रतिवादी क्रम 2 ता 9

माल ग्राम	खसरा नं0	रकबा हैक्टर
करीरिया	106	2.77
	60	0.35

वादी व प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 9 मौके पर करीब 35 वर्ष पूर्व किये गये मौखिक पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक आराजीयात पर उपरोक्तानुसार अपनी अपनी आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है, परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 बदनियत पूर्वक वादी के बाडे की जगह पर बने रिहायशी मकान व खाली जगह पर जबरन पारिवारिक बंटवारे की शर्तो को तोडकर कब्जा करने की नियत में है एवं प्रतिवादी क्रम 1 से वादी द्वारा यह कहने पर कि पारिवारिक बंटवारे के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में 2 बीघा जमीन शुरू में ही ज्यादा दी है एवं रिहायशी मकान के बदले मुझे बाडे की यानि की खसरा नं0 16 की 0.02 हैक्टर आराजी दी है, जिस पर कब्जा करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और यदि फिर भी तुम यदि खसरा नं0 16 की आराजी में दखलन्दाजी करना चाहते हो तो तहसील कार्यालय में चलकर सम्पूर्ण पारिवारिक आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का 1/3–1/3 हिस्सा मुताबिक विभाजन करवा लेते है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का आपस में विवाद पैदा न हो, परन्तु प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा तहसील कार्यालय में चलकर बंटवारा के लिए अपनी सहमति देने से इन्कार कर दिया एवं कहा कि

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

जिसकी लाठी कमजोर हो, वह न्यायालय में जाए, मुझे न्यायालय में जाने की जरूरत नही है एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी को धमकी दी है कि वह वर्षों से पारिवारिक बंटवारे में चली आ रही आराजी पर मौके पर भी मेड तोडकर वादी की जमीन को जबरन काश्त करेगा। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया, कि वह सम्मानीय न्यायालय में बंटवारे का वाद प्रस्तुत करे।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित आशय की विभाजन की डिक्री सादर पारित फरमायी जावे कि :–

माल ग्राम करीरिया पटवार मण्डाप तहसील सांगोद में खाता सं0 नई नई 2 पुरानी 2 की कुल 11 किता की कुल 9.17 हैक्टर आरजीयात में से वादी के पक्ष में 1/3 हिस्सा आराजी का मुताबिक पारिवारिक विभाजन मौके पर कब्जे काश्तानुसार एवं वर्णितानुसार आराजीयात के विभाजन की डिक्री वादी के पक्ष में पारित फरमायी जावे एवं साथ ही वादी का विकल्प में यह भी निवेदन है कि यदि प्रतिवादीगण 1 ता 9 इसके लिए रजामन्द नहीं हो तो वाद पत्र में वर्णितानुसार आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी बाराजी का 1/3 हिस्सा के विभाजन की डिक्री वादी के पक्ष में व विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमायी जावें एवं मुताबिक विभाजन की डिक्री आराजी का पृथक से खाते में अंकन कर राज लगान का अंकन किया जाकर मौके पर मुताबिक बंटवारे की डिक्री मौके पर पैमाइश कर संभलायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 10 बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके उपरान्त पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई। साक्ष्य के रूप में वकील वादी द्वारा वादी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना करने के उपरान्त साक्ष्य वादी बंद किए गए। इसके उपरान्त दावा वादी दिनांक 27.01.2021 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सांगोद को विवादित आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया। तहसीलदार सांगोद द्वारा पत्रांक भू.अभि/2021/193 दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, नकल जमाबन्दी, विभाजन प्रस्ताव आदि के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी विभाजन प्रस्ताव अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किये जाते हैं कि –

माल ग्राम करीरिया पटवार हलका मंडाप तहसील सांगोद में खाता सं0 नई 2 पुरानी 2 की कुल 11 किता की कुल 9.17 हैक्टर आरजीयात में पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित कर खाता विभाजित किया जाता है –

ग्राम	खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
करीरिया	जगदीश पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी करीरिया	109 दक्षिण	0.10	चाही तृ.	2.2
		107	1.52	चाही तृ.	33.44
		108	0.78	चाही तृ.	17.16
		108/382	0.24	चाही तृ.	5.28
		58	0.22	दीगर पी.	3.96
		16	0.02	खेडा दोयम	0.26
		106 उत्तरी	0.12	चाही तृ.	2.64
		7 किता की 3.00 है.			64.94

ग्राम	खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
करीरिया	कन्हैयालाल पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी करीरिया	109 उत्तरी	2.76	चाही तृ.	60.72
		109/389	0.01	गे.मु.टू.	
		57	0.23	दीगर पी.	4.14
		148	0.17	तीर प्र.	2.21
		4 किता की 3.17 है.			67.07

ग्राम	खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
करीरिया	गिरिराज हिस्सा 138/300, धनराज हिस्सा 37/300, तुलसीराम हिस्सा 37/300, दयाराम हिस्सा 37/300, मेघराज हिस्सा 37/300, रामगोपाल हिस्सा 7/300 पुत्रान श्रीकृष्ण, मंजू बाई हिस्सा 37/300 पुत्री श्रीकृष्ण	106 दक्षिण	2.65	चाही तृ.	58.30
		60	0.35	दीगर पी.	6.30
		2 किता की 3.00 है.			64.60

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

Scanned with OKEN Scanner

उक्तानुसार पक्षकारान को विवादित आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषण के अनुक्रम में खाता विभाजित कर राज लगान का अंकन भी पृथक से किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में अमल दारमद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मुक्त होने के उपरान्त ही आदेश की पालना की जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 22/11/2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner